उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-26/2019-20

पूरन हाँसदा

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

18/05/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक पूरन हाँसदा, पे0—स्व0 बेटका हाँसदा, सा0—गंगटाखूर्द, थाना—गोड्डा नगर, जिला—गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने मौजा—कौड़ी बहियार के जमाबंदी सं0—6 की जमीन का अवार्ड की तैयारी कर मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए आवेदन किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—कौड़ी बहियार के जमाबंदी सं0—6 दाग नं0—323 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कान्दन हाँसदा छोटा, पे0—विन्दु हाँसदा के नाम से दर्ज है। कान्दन हाँसदा अपने पीछे एक मात्र पुत्र बेटका हाँसदा को छोड़कर फौतकर गये। आवेदक पूरन हाँसदा, बेटका हाँसदा के पुत्र है। पंजी—2 में भी जमाबंदी रैयत कान्दन हाँसदा का नाम दर्ज है एवं आवेदक के द्वारा उक्त जमाबंदी की जमीन का लगान रसीद भी लगातार भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार आवेदक उक्त जमाबंदी की जमीन पर दावेदार है। रेलवे लाईन के लिए उक्त जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है एवं उक्त जमीन का मुआवजा भुगतान करने के लिए अनुमति दी गयी। लेकिन आवेदक को उक्त अधिग्रहित जमीन का भुगतान नहीं किया गया है। क्योंकि राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के द्वारा उक्त जमाबंदी की जमीन को फौत दिखाया गया था। जबकि उक्त जमाबंदी के वंशज आवेदक है और उक्त जमाबंदी की जमीन का असली हकदार आवेदक है। इसलिए उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने मौजा—कोड़ी बहियार के जमाबंदी सं0—6 के अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भुगतान करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक—721/रा0 दिनांक—10.05.2021 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदित

किया है कि मिस पिटीशन नं0–26/2019–20 पूरन हाँसदा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–23.03.2021 को पारित आदेश के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच कराई गई, प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मौजा–कानाडीह थाना सं0–514–512 जमाबंदी सं0–6 खेसरा सं0–323 रकवा 00–08–01 धुर जमीन जमाबंदी रैयत कन्दन हाँसदा छोटा वल्द वीनदु हाँसदा कौम संथाल सा0–गंगटा के नाम से गत सर्वे खतियान एवं पंजी–2 में दर्ज है। जमाबंदी रैयत कान्दन हाँसदा छोटा का वंशवृक्ष निम्न प्रकार अंकित है :–

कान्दन हाँसदा छोटा
↓
बेटका हाँसदा (मृत)
↓
पूरन हाँसदा(आवेदक)

आगे प्रतिवेदित है कि हंसडीहा से गोड्डा बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण में मौजा– कानाडीह 514–512 के जमाबंदी सं0–6 अन्तर्गत खेसरा सं0–323 के अन्दर रकवा 0.044 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया है।

विद्वान सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कानाडीह नं0–514–512 जमाबंदी सं0–6 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कान्दन हाँसदा के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत कान्दन हाँसदा के पोता है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–323 रकवा 0.044 (आठ कट्ठा एक धुर) जमीन गोड्डा–हंसडीहा रेलवे लाईन के लिए अधिग्रहित किया गया है। इसलिए आवेदक को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदक को जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में आवेदन देना चाहिए।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कानाडीह नं0–514–512 जमाबंदी सं0–6 दाग नं0–323 रकवा 00–08–01 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कान्दन हाँसदा छोटा वल्द वीनदु हाँसदा के नाम से दर्ज है। हसडीहा से गोड्डा बी0जी0 रेलवे लाईन के लिए उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–323 रकवा 0.044 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि आवेदक गत जमाबंदी रैयत

कान्दन हाँसदा के पोता है। ऐसी स्थिति में आवेदक उक्त अधिग्रहित जमीन का मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि आवेदक के आवेदन के आधार पर विधिवत सुनवाई कर नियम संगत आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

18/02/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

18/02/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
7/2/22

ज्ञा०-37
18.02.2022

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:37:38 +05:30
Location: 192.168.29.8